

FORM NO. III


फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार बनाम भबू वगै०

किस्म मुकदमा- भू० राजस्व अधि० 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-11 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-11/2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
23.05. 2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम पाखर 2 भूमि ख०न० 194 रकबा 0.03 है० राजकीय सिवायचक भूमि किस्म गै०मु०मरघट पर गैर सायलान भबू वगै० पुत्र गोविन्दा जाति मीना निवासी पाखर- 2 द्वारा गोबर डालकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को राजस्थान भू०-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। तामिल नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल मिश्रीलाल उपस्थित हुआ। जिसके द्वारा साधे कागज पर अपना जवाब पेश किया गया और अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया। जिससे गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होता है।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायलान का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायलान को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 1.32 रूपये का 50 गुणा 66 रूपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई०एल०आर०/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> तहसीलदार तहसील मण्डावर (दौसा)</p>	